भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 219

20.07.2026 को उत्तर के लिए

कंधमाल में वन संरक्षण और जनजातीय आजीविका

219. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा के कंधमाल जिले में सरकार द्वारा शुरू की गई वनीकरण, वन संरक्षण और जैव विविधता परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिले में प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) और हरित भारत मिशन के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त जिले के जनजातीय क्षेत्रों में गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पादों, औषधीय पौधों और बांस आधारित उद्योगों के माध्यम से सतत आजीविका सृजन के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ओडिशा के कंधमाल जिले के वन सीमांत गांवों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) भारत सरकार ने वृक्षारोपण, पुनर्वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने में सहायता प्रदान की है। ग्रीन इंडीया मिशन,एनसीएएमपीए, नगर वन योजना, मिष्टी आदि योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की समायावधि के दौरान, कंधमाल जिले में सीएएमपीए और ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत कुल ₹216.66 करोड़ आवंटित/प्राप्त किए गए, जिनमें से ₹214.99 करोड़ का उपयोग किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, बल्लीगुड़ा और फूलबानी वन प्रभागों के अंतर्गत कंधमाल जिला आता है। पिछले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान, विभिन्न वानिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन सड़क किनारे वृक्षारोपण, मृदा एवं नमी संरक्षण तथा अन्य पारिस्थितिकी बहाली गतिविधियाँ पूरी की गई हैं। इस अवधि के दौरान, 960 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण, 18,650 हेक्टेयर क्षेत्र में सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, 670 किलोमीटर सड़क किनारे वृक्षारोपण किया गया और लगभग 23.18 लाख पौधे उगाए/लगाए गए। अनुमोदित वार्षिक परिचालन योजनाओं के अनुसार मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य और अन्य पुन: बहाली कार्य भी किए गए।

(ग) विभिन्न वन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी), पारिस्थितिकी विकास समितियों (ईडीसी), वन सुरक्षा समितियों (वीएसएस) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) जैसी समुदाय आधारित संस्थाओं के माध्यम से गैर-काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) के संग्रहण, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये संस्थाएं वन पर निर्भर समुदायों के लिए संधारणीय कटाई, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और आजीविका संवर्धन को सुगम बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, वन धन विकास योजना के माध्यम से, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जड़ी-बूटियों और अन्य वन उत्पाद आधारित उद्यमों सहित एनटीएफपी के मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देकर जनजातीय समुदायों का सहयोग करता है। क्षेत्र में समुदाय आधारित वन आजीविका को मजबूत करने और एनटीएफपी संसाधनों से आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

(घ) मानव-पशु संघर्षों को कम करने के साथ-साथ वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी भी संघर्ष की स्थिति में राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ही प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होते हैं और वे संघर्ष के विवरण के साथ-साथ उसमें शामिल प्रजातियों का रिकॉर्ड भी रखते हैं। मंत्रालय ने अंतरविभागीय समन्वय कार्यों के माध्यम से मानव-वन्यजीवों के बीच नकारात्मक अंतर्संबंधों के प्रबंधन के लिए परामर्शी और दिशानिर्देश जारी किए हैं, साथ ही इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन भी अनिवार्य किया है। इन हस्तक्षेपों को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी सहायता का उपयोग किया जाता है।
